

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 160वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.11.2022 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 160वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.11.2022 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :-


1.	श्रीमती सेल्वा कुमारी जे0, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2.	श्री राकेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3.	श्री राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी गाजियाबाद	सदस्य
4.	श्रीमती सुनीता सिंह, डिप्टी कलेक्टर, हापुड (जिलाधिकारी हापुड के प्रतिनिधि)	सदस्य
5.	श्री राम कृष्ण नायब तहसीलदार, गौतमबुद्धनगर (जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के प्रतिनिधि)	सदस्य
6.	श्री अतुल कुमार सिंह, अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन मेरठ मण्डल, मेरठ	सदस्य
7.	श्री सतीश चन्द्र गौड़, चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर एन0सी0आर सेल, गाजियाबाद।	सदस्य
8.	श्री कृष्ण मोहन, सहयुक्त नियोजक एन0सी0आर0 सेल प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ एवं चीफ कोर्डिनेटर, एन0सी0आर0 प्लानिंग सेल	सदस्य
9.	श्री श्याम सिंह, प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम	सदस्य
10.	श्री राकेश चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, आवास विकास परिषद, वसुन्धरा।	सदस्य
11.	श्रीमती कृष्णा त्यागी	गैर सरकारी सदस्य
12.	श्री सचिन डागर	गैर सरकारी सदस्य
13.	श्री हिंमाशु मित्तल	गैर सरकारी सदस्य
14.	श्री पवन गोयल	गैर सरकारी सदस्य
15.	श्री केशव त्यागी	गैर सरकारी सदस्य
16.	मौ0 आसिफ खान	गैर सरकारी सदस्य

*(Handwritten signature)*


बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त सर्व-सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :-

मद सं०	विषय	निर्णय
160/1 प्रशासन	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 30.04.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।
160/2 प्रशासन	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 159वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.04.2022 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।	बोर्ड बैठक दिनांक:-30.04.2022 के कार्यवृत्त पर आख्या अवलोकित की गयी। रोप-वे के सम्बन्ध में विचार-विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आनन्द विहार से वैशाली तक मेट्रो ब्लू लाईन एवं दिलशाद गार्ड से मोहननगर होते हुए नया बस अड्डा तक मेट्रो रेड लाईन पूर्व से संचालित होने के कारण वैशाली से मोहननगर तक मिसिंग लिंक हेतु रोप-वे, मेट्रो लाईट आदि विकल्प व्यवहारिक न होने के कारण उक्त मिसिंग लिंक हेतु मेट्रो के संचालन पर ही विचार किया जाये।
160/3 नियोजन	दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ हेतु प्रस्तावित RRTS परियोजना में प्रस्तावित Influence Zone तथा Special Development Area को गाजियाबाद महायोजना-2031 एवं मोदीनगर महायोजना-2031 प्रारूप पर शासन द्वारा निर्गत टी0ओ0डी पॉलिसी के आधार पर चिन्हित किये जाने के दृष्टिगत महायोजना प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।	मुख्य नगर नियोजन/नगर नियोजनक द्वारा अवगत कराया गया कि गत बोर्ड बैठक दिनांक 30-04-2022 में प्रस्तुत एवं अनुमोदित गाजियाबाद महायोजना 2031 (प्रारूप) व मोदीनगर महायोजना 2031 (प्रारूप) के भू-उपयोगों में वर्तमान में प्रस्तुत संशोधित महायोजनाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अपितु शासन द्वारा निर्गत टी0ओ0डी0 पॉलिसी दिनांक 24 अगस्त, 2022 के प्राविधानों के अनुरूप मात्र टी0ओ0डी0 जोन्स व एस0डी0ए0 क्षेत्रों का चिन्हिकरण किया गया है। साथ ही मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 07-11-2022 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं०-7 के अनुसार एस0डी0ए0 क्षेत्रों में स्थित कृषि क्षेत्र को मिश्रित भू-उपयोग में प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित एस0डी0ए0 क्षेत्रों का जोनल प्लान पृथक से ट्रांजिट एजेंसी एस0सी0आर0टी0सी0 द्वारा तैयार कराया

13



		जायेगा, जिसका भू-उपयोग स्वीकृत जोनल प्लान के अनुसार रहेगा। तदनुसार विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त संशोधित गाजियाबाद एवं मोदीनगर महायोजना 2031 (प्रारूप) पर जनसामान्य से 15 दिवस हेतु आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
160/4 नियोजन	मै0 उप्पल चडढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा एन0एच0-24 पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप के संशोधित डी0पी0आर0 (4196.30 एकड़)/ले-आउट प्लान (3786.79 एकड़) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा शासन को पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-652/मा0 अनु0/जोन-5/2022 दिनांक-07.06.2022 के सम्बन्ध में शासन के निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त तदनुसार प्रकरण का परीक्षण करते हुए पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
160/5 नियोजन	खन्ना नगर कालोनी के तलपट मानचित्र में सृजित सिनेमा भूखण्ड के उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि योजना के मूल तलपट मानचित्र का विधिवत परीक्षण करा लिया जाये एवं स्थल का निरीक्षण करते हुए इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के आलोक में पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
160/6 नियोजन	समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मानचित्रों की समयावधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि सम्बन्धित विकासकर्ताओं से मानचित्रों की समयावधि में निर्माण/विकास कार्य पूर्ण किये जाने के आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
160/7 भू-अर्जन	इन्दिरापुरम विस्तार योजना हेतु ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी की अर्जित की गयी 229.5390 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू होने के फलस्वरूप उत्पन्न प्रतिकर सम्बन्धी जटिलताओं के कारण अर्जन से विरत करने हेतु मद संख्या-153/34 बोर्ड बैठक दिनांक:-25.06.2019 में लिए गये निर्णय की निरस्तीकरण के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
160/8 भू-अर्जन	हाईटेक टाउनशिप (वेवसिटी) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-3463/आठ-3-21-227 विविध /2011 के क्रम में अपूर्ण सडकों/महायोजना मार्गों की भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि शासनादेश संख्या-3463/आठ-3-21-227 विविध/2011 दिनांक-16.12.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जिन गाटा संख्याओं का अधिग्रहण प्रस्ताव भेजा


12  


		जाये, वे अपूर्ण सडकों/महायोजना मार्गों से सम्बन्धित हों।
160/9 अभियन्त्रण	शासन द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अधीन समाजवादी आवास योजना के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।	उक्त प्रस्ताव अस्पष्ट होने के कारण इस निर्देश के साथ स्थगित किया गया कि पूर्ण स्पष्टता के साथ प्रस्ताव तैयार कर पुनः बोर्ड के समक्ष रखा जाये।
160/10 अभियन्त्रण	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम-नूरनगर (राजनगर एक्सटेंशन) में निर्माणाधीन 480 भवनों की परियोजना पर प्राधिकरण अंश से प्रस्तावित अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण की नीलामी में आरक्षित मूल्य से प्राप्त अधिक धनराशि से किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
160/11 सम्पत्ति	सुश्री रेखा कुमारी दिव्यांग को इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना में आवंटित भवन संख्या- बी0के0-101 ए ई0डब्लू0एस0 के परिवर्तन में इसी योजना में दिये गये भवन संख्या-बी0के0-16 ई.डब्लू0एस0 पर लगाये गये साधारण ब्याज रू0-41438/- को माफ कराये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।
160/12 अभियन्त्रण	आर0डी0सी0 योजना में व्हीकल फ्री जोन में सामुदायिक सुविधा हेतु निर्मित 10 क्योस्क हेतु आवंटी द्वारा जमा करायी गयी धनराशि वापस/रिफण्ड किये जाने हेतु।	आर0डी0सी0 योजना के अन्तर्गत व्हीकल फ्री जोन में निर्मित क्योस्क के लाईसेन्स के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञप्ति व ब्रोशर में समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में जमा धनराशि के रिफण्ड हेतु कोई प्राविधान न होने के कारण प्राधिकरण की अन्य सम्पत्तियों के नीलामी ब्रोशर की नियम/शर्तों के अनुसार धरोहर राशि को जब करते हुए एवं डिफाल्टिड राशि पर ब्याज (यदि कोई हो तो) की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस किये जाने का निर्णय लिया गया।
160/13 नियोजन	प्लॉट नं0- राजेन्द्र नगर गैस गोदाम सैक्टर-3 राजेन्द्रनगर गाजियाबाद के भू-उपयोग परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि योजना के मूल तलपट मानचित्र का पुनः परीक्षण कर नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
160/14 लेखानुभाग	वित्तीय वर्ष 2021-22 की बैलेन्सशीट का अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
160/15 नियोजन	गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावी गाजियाबाद जोनल डवलपमेन्ट प्लान-2021 जोन-1 के जोनिंग रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुसार विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रिया अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

*(Handwritten signature)*


	अनुसार विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रिया अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	
160/16 नियोजन	उ०प्र० ट्रांजिस्ट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट (टी०ओ०डी०) नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु गाजियाबाद पग में आर०आर०टी०एस० तथा मेट्रो के दृष्टिगत चिन्हित टी०ओ०डी० जोन्स (एस०डी०ए० तथा आई०जेड०) के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने हेतु एन०सी०आर०टी०सी० को एजेन्सी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।


  
( बृजेश कुमार )

सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

  
( राकेश कुमार सिंह )  
उपाध्यक्ष  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

  
(सेल्वा कुमारी जे०)

अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /  
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ